ए.

आर. वैली एंड ओआरएस

वी.

तमिल नाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड। (2022 की सिविल अपील संख्या 1269)

10 फरवरी, 2022

बी.

[हेमंत गुप्ता और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:घातक दुर्घटना-क्षतिपूर्ति-गुणक-मृतक की आयु दुर्घटना की तारीख को 54 वर्ष थी-न्यायाधिकरण ने 10 वर्षों के लिए जीवन की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति की तारीख तक 3 का गुणक और उसके बाद 8 का गुणक लागू किया-उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:प्रणय सेठी में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह मृतक की आयु है जो उपयुक्त गुणक लागू करने का आधार है और मुआवजे का निर्धारण भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना है-50 से 60 वर्ष की आयु के बीच के मृतक के संबंध में भविष्य की संभावनाओं को 15 प्रतिशत माना गया था-इस प्रकार, दो गुणक लागू करने वाले मुआवजे के निर्धारण का तरीका गलत है और सरला वर्मा में फैसले की पुष्टि करते हुए प्रणय सेठी में इस अदालत के फैसले के विपरीत है-चूंकि मृतक घटना की तारीख को 54 वर्ष का था, इसलिए सरला वर्मा में इस अदालत के फैसले के अनुसार उपयुक्त गुणक 11 होगा।

सी.

डी.

ई.

प्रणय सेठी में अनुमोदित।

अपील का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** प्रणय सेठी में**,** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की आयु उपयुक्त गुणक लागू करने का आधार है और मुआवजे का निर्धारण भविष्य की संभावनाओं को ध्यान

में रखते हुए किया जाना है।**50** से **60** वर्ष की आयु के बीच के मृतक के संबंध में भविष्य की संभावनाओं को **15** प्रतिशत रखा गया था।प्रणय सेठी में निर्णय के पैरा **59.7** के संदर्भ में मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त गुणक लागू किया जाना है।**[**पारस **7,9] [574-**ई**,** जी**; 575-**ए**]**

एफ.

जी.

उमा शंकर और अन्य बनामरेवती वादिवेल और अन्य। **2014** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन मैड **846;** श्रीमती**.** कमलेश देवी और ओआरएस**.** वी**.**

एस. किताब सिंह और अन्य। 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2843;

भारत संघ और अन्य बनामके. एस. लक्ष्मी कुमार और अन्य।

2000 एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन कर **406-**अच्छा कानून नहीं है।

एच.

570

571

आर. वली बनाम तमिल नाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड।

ए.

2. दो गुणकों को लागू करते हुए मुआवजे के निर्धारण का तरीका स्पष्ट रूप से गलत है और प्रणय सेठी में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है**,** जो एस**.** आर्ला वर्मा में फैसले की पुष्टि करता है।चूँकि घटना की तारीख को मृतक की आयु **54** वर्ष थी**,** इसलिए प्रणय सेठी मामले में इस अदालत द्वारा अनुमोदित सरला वर्मा मामले में इस अदालत के फैसले के अनुसार उपयुक्त गुणक **11** होगा।**[**पैरा **11] [575-**डी**-**ई**]**

बी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी

& ओआरएस। (2017) 16 एससीसी 680:[2017] 13 एस. सी. आर. 100-फॉलो किया गया।

सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनामदिल्ली परिवहन

सी.

निगम और एन. आर. (2009) 6 एससीसी 121:[2009] 5 एससीआर

1098; रेशमा कुमारी और ओआरएस**.** वी**.**मदन मोहन और अन्र।

(2013) 9 एससीसी **65:[2013] 2** एस**.** सी**.** आर**. 706-**निर्भर

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामसतिंदर कौर आलिया

सतविंदर कौर और अन्य। 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 410 मामला कानून संदर्भ

डी.

[2009] 5 एससीआर **1098**

उस पर भरोसा करें

पैरा **5**

[2013] 2 एससीआर **706**

उस पर भरोसा करें

पैरा **6**

ई.

[2017] 13 एससीआर **100**

पीछा किया।

पैरा **6**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 1269।

2014 के सी. एम. ए. No.2982 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 07.11.2017 से।

एफ.

पी. बी. सुरेश, विपिन नायर, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

अमित आनंद तिवारी, ए. ए. जी., डी. कुमानन, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता**,** जे।

जी.

1. मृतक वी. राजसेकरन के कानूनी उत्तराधिकारी मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7.11.2017 द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अपील कर रहे हैं, जिसमें याचिका की तारीख से अब तक 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ <lD2,12,628/- का मुआवजा दिया गया है।

एच.

572

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

ए.

22.02.2011 पर मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के कारण प्राप्ति।

2. मृतक दोपहिया वाहन पर सवार था जब प्रत्यर्थी की एक बस ने उसके वाहन को टक्कर मार दी।मृतक के सिर में चोटें आईं और उसकी तुरंत मौत हो गई।उनका जन्म 11.4.1956 पर हुआ था और दुर्घटना की तारीख को उनकी आयु 54 वर्ष थी।आय और आयु के आधार पर, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चेन्नई 1 ने Rs.13,82,628/- का मुआवजा दिया।

बी.

3. न्यायाधिकरण ने माना कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई।अपीलार्थी ने मेसर्स अरेवा टी एंड डी इंडिया लिमिटेड के सहायक प्रबंधक पीडब्लू-3 की जांच की।उन्होंने अपदस्थ किया कि मृतक को Rs.23,062.30 का वेतन दिया गया था।वेतन प्रमाण पत्र Ex.P.9 के रूप में प्रस्तुत किया गया था।विद्वत न्यायाधिकरण ने आय का आकलन Rs.23,062/- पर किया।यह देखते हुए कि सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी, इसलिए निर्भरता केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए थी।आयकर @10% काटने के बाद, मासिक आय का आकलन Rs.20,756/- के रूप में किया गया था। न्यायाधिकरण ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए उक्त राशि का एक चौथाई हिस्सा काट लिया और मृतक को नौकरी में रहने की अवधि के लिए रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया और उसके बाद आय के 50 प्रतिशत पर 8 का गुणक लागू किया जो उसने अर्जित किया होगा और रुपये की राशि प्रदान की।न्यायाधिकरण ने पारंपरिक शीर्षों पर भी मुआवजा दिया और इस प्रकार कुल राशि Rs.13,82,628/- घोषित की।

सी.

डी.

ई.

4. उच्च न्यायालय ने 10 वर्षों के लिए जीवन की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति की तारीख तक 3 के गुणक और उसके बाद 8 के गुणक के संबंध में विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की।उच्च न्यायालय ने निर्भरता के कारण मुआवजे की राशि को बनाए रखा, लेकिन पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे को बढ़ाया, ताकि Rs.15,12,628/- की राशि प्रदान की जा सके।

एफ.

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई गुणक पद्धति गलत थी और टिकाऊ नहीं थी।यह तर्क दिया गया था कि गुणक मृतक की आयु और मृत्यु के समय आय को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाता है न कि सेवा के शेष वर्षों पर विचार करके।यह तर्क दिया गया था कि यदि दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति की आयु 31 वर्ष है और

जी.

1 संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण' ए

एच.

573

आर. वल्ली बनाम तमिल नाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

यदि 27 वर्ष की सेवा शेष है, तो गुणक 28 वर्ष नहीं है, बल्कि सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए है।दिल्ली परिवहन निगम और एएनआर। 2, मृत्यु के समय मृतक की आयु एक गुणक चुनने का आधार है न कि रोजगार में बचे वर्षों का।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

“42. इसलिए हमारा मानना है कि उपयोग किया जाने वाला गुणक उपरोक्त तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित होना चाहिए (सुसम्मा थॉमस [(1994) 2 एससीसी 176 को लागू करके तैयार किया गया हैः1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 335, त्रिलोक चंद्र [(1996) 4 एस. सी. सी. 362] और चार्ली [(2005) 10 एस. सी. सी. 720:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1657]), जो 18 (15 से 20 और 21 से 25 वर्ष के आयु समूहों के लिए) के परिचालन गुणक के साथ शुरू होता है, हर पांच साल के लिए एक इकाई घटाई जाती है, जो 26 से 30 वर्ष के लिए एम-17 है, 31 से 35 वर्ष के लिए एम-16 है, 36 से 40 वर्ष के लिए एम-15 है, 41 से 45 वर्ष के लिए एम-14 है, और 46 से 50 वर्ष के लिए एम-13 है, फिर हर पांच साल के लिए दो इकाइयों से घटाया जाता है, अर्थात 51 से 55 वर्ष के लिए एम-11 है, 56 से 60 वर्ष के लिए एम-9 है, 61 से 65 वर्ष के लिए एम-7 है और 66 से 70 वर्ष के लिए एम-5 है।”

बी.

सी.

डी.

6. सरला वर्मा के फैसले की पुष्टि रेशमा कुमारी एंड ओआरएस**.** वी**.** में की गई थी।मदन मोहन और अन्र। **3.**राष्ट्रीय बीमा के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दोनों निर्णयों की पुष्टि की गई थी

कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य। **4.**प्रणय में यह न्यायालय

सेठी निम्नलिखित रूप में आयोजित की गईः“44. इस स्तर पर, हमें तुरंत यह कहना चाहिए कि जहां तक उपरोक्त गुणक/गुणक का संबंध है, इसे मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा साबित आय के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए।भविष्य की संभावनाओं को प्रतिशत के आधार पर राशि में जोड़ा जाना है और "आय" का अर्थ है वास्तविक आय जो भुगतान किए गए कर से कम है।सरला वर्मा [सरला वर्मा बनाम डी. टी. सी., (2009) 6 एस. सी. सी. 121:(2009) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 770:(2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1002] जिसे रेशमा कुमारी [रेशमा कुमारी बनाम मदन मोहन, (2013) 9 एस. सी. सी. 65 में अनुमोदित किया गया हैः(2013) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 191: (2013) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 826] जिसके साथ हम सहमत हैं।

ई.

एफ.

जी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

2 (2009) 6 एससीसी 121 3 (2013) 9 एससीसी 65 4 (2017) 16 एससीसी 680

एच.

59.3 आय का निर्धारण करते समय, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी।यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच है तो यह वृद्धि 30 प्रतिशत होनी चाहिए।यदि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, तो वृद्धि 15 प्रतिशत होनी चाहिए।वास्तविक वेतन को वास्तविक वेतन रहित कर के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

बी.

59.4 यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो साबित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त वारंट होना चाहिए जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी।25 प्रतिशत की वृद्धि जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी और 10 प्रतिशत जहां मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, को गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए।साबित आय का अर्थ है आय को कर घटक से घटाना।

सी.

डी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

59.7.गुणक लगाने के लिए मृतक की आयु आधार होनी चाहिए।"

7. प्रणय सेठी में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की आयु उपयुक्त गुणक लागू करने का आधार है और मुआवजे का निर्धारण भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।50 से 60 वर्ष की आयु के बीच के मृतक के संबंध में भविष्य की संभावनाओं को 15 प्रतिशत रखा गया था।

ई.

8. अपर महाधिवक्ता श्री अमित आनंद तिवारी ने उच्च न्यायालयों के कुछ आदेशों का उल्लेख उमा के रूप में किया है।

एफ.

शंकर और ओआरएस**.** वी**.**रेवती वादिवेल और अन्य। **5,** श्रीमती। कमलेश देवी और ओआरएस**.** वी**.**एस**.** किताब सिंह और अन्य। **6** और भारत संघ और अन्य बनामकेएस**.**

लक्ष्मी कुमार और अन्य। 7 विभाजन गुणक अर्थात सेवानिवृत्ति की तिथि तक गुणक और सेवानिवृत्ति के बाद एक अन्य गुणक की प्रयोज्यता का समर्थन करना।

जी.

9. श्री तिवारी द्वारा निर्दिष्ट निर्णय प्रणय सेठी में इस न्यायालय द्वारा कानून के उच्चारण से पहले के हैं।इसलिए, ऐसे निर्णयों को अब अच्छा कानून नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उपयुक्त गुणक है

5 2014 एससीसी ऑनलाइन मैड 846 6 2011 एससीसी ऑनलाइन डेल 2843 7 2000 एससीसी ऑनलाइन कार 406 ए

एच.

575

आर. वल्ली बनाम तमिल नाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

प्रणय सेठी में निर्णय के पैरा 59.7 के संदर्भ में मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा।

10. एक आदेश में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यूनाइटेड इंडिया के रूप में रिपोर्ट किया

बीमा कंपनी लिमिटेड बनामसतिंदर कौर आलिया सतविंदर कौर और अन्य। **8.**

मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए गुणक लागू किया है, भले ही वह कुंवारा हो।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

बी.

“48. रॉयल सुंदरम एलायंस में तीन न्यायाधीशों की एक और पीठ

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाममंडला यादगिरि गौड़ (2019) 5 एस. सी. सी.

554 इस मुद्दे पर कानून का पता लगाया और कहा कि मुआवजे की गणना इस आधार पर की जानी चाहिए कि मृतक ने आश्रितों की सहायता के लिए क्या योगदान दिया होगा। विवाहित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, यह एक स्वीकृत मानदंड है कि मृतक की आयु को ध्यान में रखा जाएगा।इस प्रकार, एक कुंवारे के मामले में भी, वही सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए।”

सी.

11. इस प्रकार, हम पाते हैं कि दो गुणकों को लागू करते हुए मुआवजे के निर्धारण का तरीका स्पष्ट रूप से गलत है और प्रणय सेठी में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है, जो एस. आर्ला वर्मा में फैसले की पुष्टि करता है।चूँकि घटना की तारीख को मृतक की आयु 54 वर्ष थी, इसलिए प्रणय सेठी मामले में इस अदालत द्वारा अनुमोदित सरला वर्मा मामले में इस अदालत के फैसले के अनुसार उपयुक्त गुणक 11 होगा।

डी.

12. अतः न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित आय के आधार पर मुआवजा निम्नानुसार होगाः

ई.

एफ.

जी.

एच.

8 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 410

576

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

13. इस प्रकार, अपीलार्थीगण रुपये के मुआवजे के हकदार पाए जाते हैं। 24,33,064- दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से प्राप्ति तक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ।

14. इस प्रकार अपील का निपटान पूरे खर्च के साथ किया जाता है।

बी.

देविका गुजराल

अपील का निपटारा किया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.